क्रम-संख्या–65(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 2020

बैशाख 3, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 03/2020/452/80-1–2020-600(22)-2002 टी०सी०-II
लखनऊ, 23 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०–22

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 58-क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 58-क का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) यथास्थिति भण्डार गृह, साइलो, शीतगृह या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण क्षमता अन्यून पाँच हजार टन की हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल	(1) यथास्थिति भण्डार गृह/साइलो/शीतगृह/या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण इकाई क्षमता अन्यून चार हजार टन या प्रसंस्करण क्षमता अन्यून दस

स्तम्भ–1 विधमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा 7(क)(1) के अधीन प्रपत्र तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा।	टन प्रतिदिन हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा 7 (क)(1) के अधीन प्रपत्र तेरह मे निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा : प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह तथा साइलो, जो भण्डागार विकास तथा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत हों, और निजी क्षेत्र के शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेन्स प्राप्त हों, के स्वामी को राज्य सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र तेरह (क) में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा: अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भडारगृह/साइलो, विवरण संलग्न करके संयुक्त रूप से और निजी क्षेत्र के शीतगृह/साइलो, जो प्रपत्र तेरह (क) में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का लाइसेन्स धारण करते हों, के स्वामी, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आवेदन कर सकते हैं।
(2) ऐसे आवेदन के लिये शुल्क न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष दो हजार रुपये और बीस वर्ष के लिये बीस हजार रुपये होगा और पाँच लाख रुपये की प्रतिभूति भी प्रस्तुत करनी होगी।	(2) ऐसे आवेदन के लिये शुल्क, न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष दो हजार रुपये अथवा बीस वर्ष के लिये बीस हजार रुपये होगा :
——	प्रतिबन्ध यह है कि आवेदक वित्तीय वर्ष 2020–21 में शुल्क मुक्त होगा : अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह/साइलो, आवेदन शुल्क से मुक्त होंगे।
(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता की जाँच करेगा और उसे ऐसे अभिलेख को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हो और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों	(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता को सत्यापित करेगा और उसे ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निदेश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिये सिफारिश कर सकता है :	गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थान घोषित करने के लिये संस्तुति कर सकता है :
प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन–पत्र में वर्णित विवरणों का सत्यापन करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :	प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेन्स प्राप्त निजी क्षेत्र के शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई के स्वामी को छोड़कर अन्य आवेदकों का सत्यापन करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है :
प्रतिबन्ध यह और है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक का मामला, मण्डी उपस्थल घोषित किये जाने हेतु रिफारिश किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, तो आवेदक को इस प्रयोजनार्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मण्डी उप स्थल का आवेदन मण्डी उप स्थल घोषित करने के लिये उपयुक्त नहीं है तो इस प्रयोजनार्थ आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।
(4) मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, अढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्बन्धित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेन्स प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा।	(4) मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, अढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्बन्धित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेन्स प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा।
	(5) निदेशक, मण्डी परिषद्, मण्डी उपस्थल की घोषणा के तत्काल पश्चात् मण्डी उपस्थल के स्वामी/आवेदक तथा अन्य लाइसेन्सधारियों के लिए प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 9 की सुविधाएं तथा गेट पास आदि जारी करने, और मण्डी परिषद् के पोर्टल पर प्रवेश करने की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा और दैनिक संव्यवहार तथा मण्डी शुल्क से सम्बन्धित सूचना, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के समय आनलाइन प्रवेश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी :
	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी उप स्थल के स्वामी/लाइसेन्सधारी को निदेशक, कृषि विपणन द्वारा विहित किये गये प्रारूप में दैनिक संव्यवहार, स्टाक तथा अधिसूचित वस्तुओं की बहिर्गामी मात्राओं तथा अन्तिम अतिशेष से सम्बन्धित सूचना को अनुरक्षित करना होगा।

नियम 58-ख का संशोधन

3—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम 58-ख के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(1) कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हो, जो मुख्य मण्डी स्थल/मण्डी उपस्थल/उप मण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल के बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थाई गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाएं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने का इच्छुक हो, धारा 7 (ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा।	(1) कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हो, जो मुख्य मण्डी स्थल/मण्डी उपस्थल/उप मण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल के बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थाई गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाएं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद क्रय करने का इच्छुक हो, धारा 7 (ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा।
(2) आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।	(2) आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी आस्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।
(3) सीधे विपणन के लिये प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रुपये की प्रतिभूति सहित लाइसेन्स शुल्क, एक हजार रुपये प्रति वर्ष या 10,000 रुपये बीस वर्षों हेतु होगा : प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेन्स की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेन्स शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा।	(3) सीधे विपणन के लिये, प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रुपये की प्रतिभूति सहित लाइसेन्स शुल्क, एक हजार रुपये प्रति वर्ष या दस हजार रुपये बीस वर्षों हेतु होगा : प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेन्स की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेन्स शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा : प्रतिबन्ध यह है कि वित्तीय वर्ष 2020—21 में कृषक सहकारी समूह और कृषक उत्पादक संगठन, उपरोक्त शुल्क तथा प्रतिभूति से मुक्त होंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।	(4) आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।
(5) निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है।	(5) निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है।
(6) लाइसेन्स प्राधिकारी जैसे ही लाइसेन्स जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद् को देगा।	(6) लाइसेन्स प्राधिकारी जैसे ही लाइसेन्स जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद् को देगा।
	6 (क) निदेशक, कृषि विपणन द्वारा सीधे विपणन करने का लाइसेन्स जारी किये जाने के तत्काल पश्चात् निदेशक, मण्डी परिषद् प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 9 की सुविधाएं, और गेट पास आदि जारी करने, और मण्डी परिषद् पोर्टल में प्रवेश करने की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। दैनिक संव्यवहार एवं मण्डी शुल्क सम्बन्धी सूचना, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निरीक्षण करने के समय आनलाइन प्रवेश के रूप में प्रदान की जायेगी : अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे विपणन के लाइसेन्सधारी को निदेशक, कृषि विपणन द्वारा यथाविहित प्रारूप में अधिसूचित वस्तुओं के दैनिक संव्यवहार, स्टाक, बहिर्गामी मात्राओं एवं अन्तिम अतिशेष सम्बन्धी सूचना अनुरक्षित करनी होगी और मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 03/2020/452/LXXX-1–2020-600(22)-2002 T.C.-II, dated April 23, 2020 :

No. 03/2020/452/ LXXX-1–2020-600(22)-2002 T.C.-II

Dated Lucknow, April 23 , 2020

IN exercise of the powers conferred by section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (BAISWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Baiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 58-A

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter referred to as the said rules, *for* rule 58-A set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(1) The owner of a warehouse/silo/cold storage/or other such structure or places as the case may be, having storage capacity of not less than five thousand tons, desirous of declaration of such place as market sub-yard shall apply to the Director, Agriculture Marketing or an officer authorized by him, in form-XIII under section 7A(1) of the Act.	(1) The owner of a warehouse/silo/cold storage/or other such structure or places as the case may be, having storage capacity of not less than four thousand tons, or not less than ten tons per day capacity of processing unit desirous of declaration of such place as market sub-yard shall apply to the Director, Agriculture Marketing or an officer authorized by him, in form-XIII under section 7A(1) of the Act : Provided that wearhouse and silo of Central/State Government undertaking/Public Enterprises/Corporation/Co-operative and registered in Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) and owner of private cold storage, processing unit having license of Director, Horticulture and Food Processing Department will apply in form-XIII (A) as prescribed by State Government to the Director, Agricultural Marketing or an officer authorised by him : Provided further that warehouse/silo of Central/State Government undertaking/public enterprises/Corporation/Co-operative may apply jointly with enclosed details and owner of private cold storage silo having license of horticulture and food processing department in the form-XIII(A) to Director, Horticulture and Food Processing Department.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(2) The fee for such application shall be Rs. Two thousand per annum for a minimum period of three years or Rs. Twenty thousand for twenty years, and shall also furnish a security of Rs. Five Lakhs.	(2) The fee for such application shall be Rs. Two thousand per annum for a munimum period of three years or Rs. Twenty thousand for twenty years:
	Provided that the applicant shall be exempted from the above fee in the financial year 2020-21 :-
	Provided further that ware house/silo of Central/State Government undertaking/public enterprises/ Corporation/Co-operative shall be exempted from application fees.
(3) The Director, Agriculture Marketing shall verify the documents and suitability of the applicant and may direct him to furnish such documents as may be necessary, to run a market sub-yard and may recommend to the State Government to declare it as market sub-yard by notification in the Official *Gazette* within sixty days :	(3) The Director, Agriculture Marketing shall verify the documents and suitability of the applicant and may direct him to furnish such documents as may be necessary, to run a market sub-yard and may recommend to the State Government to declare it as market sub-yard by notification in the *Gazette* within sixty days :
Provided that the Director, Agriculture Marketing can authoeize an officer subordinate to him to verify the particulars mentioned in the application form :	Provided that the Director, Agriculture Marketing can authorize officer for verification of applicant except ware house, silo of Central/ State Government undertaking/Public Enterprises/Corporation/Co-operative and owner of private cold storage/processing unit having license of Director, Horticulture and Food Processing Department :
Provided further that if the Director, Agriculture Marketing reaches to a conclusion that the application of market sub-yard, a reasonable opportunity of hearing shall be given to the applicant for this purpose.	Provided further that if the Director, Agriculture Marketing reaches to a conclusion that the application of market sub-yard is not fit for declaring market yard a reasonable opportunity of hearing shall be given to the applicant for this purpose.
(4) A person or persons carrying on business or work as trader, broker, commission agent, warehouseman, weighman, or palledar in the market sub-yard shall take appropriate license from market committee concerned and act in accordance with the provision of the Act and the Rules.	(4) A person or persons carrying on business or work as trader, broker, commission agent, warehouseman, weighman, or palledar in the market sub-yard shall take appropriate license from market committee concerned and act in accordance with the provision of the Act and the Rules.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	(5) Director, Mandi Parishad shall provide facilities of form no. 6, form no. 9 and gatepass *etc.* and access to mandi parishad portal immediately after declaration of mandi sub-yard to the owner of mandi sub-yard/applicant and other licencees, information related to daily transaction, mandi fees shall be provided as online access/at the time of inspection to the Director, Agricultural Marketing or an officer authorized by him: Provided firther that owner/licensee of mandi sub-yard shall maintain information related to daily transaction, stock, out going quantities and closing balance of notified commodities in the format as prescribed by Director, Agricultural Marketing and submit on demand.

Amendment of rule 58-B

3. In the said rules, *for* rule 58-B set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(1) Any person, including a Farmers' Co-operative, Farmers Producer Organisation (FPO) and Processor/ Exporter, under section 7-B, desirous to purchase agricultural produce directly from agricultural produce directly from the farmers outside the principal market yard/market sub-yard/ sub-market yard/Private market yard as collection/aggregation centre in the proximity of production area with infrastructure specially godown permanent or temporary, weighment facility and other common facilities to the farmers shall apply to the Director, Agriculture Marketing, in the form-XIV with details of structure and other information prescribed in the form.	(1) Any person, including a Farmers' Co-operative, Farmers Producer Organisation (FPO) and Processor/ Exporter, under section 7-B, desirous to purchase agricultural produce directly from the farmers outside the principal market yard/market sub-yard/sub-market yard/market sub-yard/sub-market yard/ Private market yard as collection/ aggregation centre in the proximity of production area with infrastructure specially godown permanent or temporary, weighment facility and other common facilities to the farmers shall apply to the Director, Agriculture Marketing, in the form-XIV with details of structure and other information prescribed in the form.
(2) The applicant shall also submit details of financial status, resources with supportive documents, bank statements, income tax returns of the last three years, list of permanent assets and liabilities and in the case of a company memorandum and articles of association and other documents showing the credibility of the applicant for the direct purchase of specified agiculture produce from the producer-seller.	(2) The applicant shall also submit details of financial status, resources with supportive documents, bank statements, income tax returns of the last three years, list of permanent assets and liabilities and in the case of a company memorandum and articles of association and other documents showing the credibility of the applicant for the direct purchase of specified agiculture produce from the producer-seller.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(3) The license fees for the direct marketing shall be Rs. One thousand per year or Rs. Ten thousand for twenty years with a security of Rs. One lac for each purchase centre : Provided that the amount of license fees paid by the applicant and the security money shall be refunded after deducting ten per cent of the fees towards processing cost if the license is not granted or not renewed for any reason other than non compliance of the conditions of license.	(3) The license fees for the direct marketing shall be Rs. One thousand per year or Rs. Ten thousand for twenty years with a security of Rs. One lac for each purchase centre : Provided that the amount of license fees paid by the applicant and the security money shall be refunded after deducting ten per cent of the fees towards processing cost if the license is not granted or not renewed for any reason other than non compliance of the conditions of license : Provided further that the Formers' Co-operative and Formers Producer Organisation (F.P.O.) shall be exempted from the above fee and security in the financial year 2020-21.
(4) The applicant may apply for more than one direct purchase centres in one or more market areas.	(4) The applicant may apply for more than one direct purchase centres in one or more market areas.
(5) The Director, Agricultural Marketing shall examine the proposal in consultation with person or authorities as he deems fit and may suggest necessary measures for improvement or after satisfying himself, grant license in the form-XIV A.	(5) The Director, Agricultural Marketing shall examine the proposal in consultation with person or authorities as he deems fit and may suggest necessary measures for improvement or after satisfying himself, grant license in the form-XIV A.
(6) The licensing authority shall inform to the maket committee concerned and the Director, Agriculture Marketing Board as soon as he issue the license.	(6) The licensing authority shall inform to the maket committee concerned and the Director, Agriculture Marketing Board as soon as he issue the license.
	(6-A) Director, Mandi Parishad shall provide facilities of form no. 6, form no. 9 and gatepass *etc.* and access to mandi parishad portal immediately after issuance of license of direct marketing by the Director, Agricultural Marketing. Informataion related to daily transaction, mandi fees shall be provided as online access/at the time of inspection to the Director, Agricultural Marketing or an officer authorized by him : Provided further that licensee of direct marketing shall maintain information related to daily transaction, stock, out going quantities and closing balance of notified commodities in the format as prescribed by Director, Agricultural Marketing and submit on demand.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Pramukh Sachiv.